तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गोविन्दकरण राठौड़ बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 16/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़ पुत्र धनकरण जाति राजपूत निवासी 79, हनुवंत बी, सेक्टर बी, बी.जे.एस. कॉलानी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.11.18 में उसके द्वारा (1) संलग्न पत्र की फोटो प्रति(2004/1173 दिनांक 11.03.2004) ए.डी.एम. जोधपुर द्वारा 11.03.2004 को जारी पत्र के प्रत्युत्तर में आप द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही की फोटो प्रतियां व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) से जरिये पत्रांक 61 दिनांक 22.01.19 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक क्रमशः 01दिनांक 03.01.19 व पत्रांक 34 दिनांक 09.01.19 द्वारा प्रार्थी को प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः इस स्टेज पर अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जा चुकी है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	